भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 444
उत्तर देने की तारीखः 04.02.2021

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

444. श्री रामनाथ ठाकुर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लेने वाली बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु कोई प्रबंध किए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध करवाई जाने वाली कैंटीन सेवाएं बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं; और
(घ) बिहार में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं और इनमें कितनी छात्राएं पढ़ रही है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग) : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा की एकीकृत योजना -समग्र शिक्षा कार्यान्वित कर रहा है। समग्र शिक्षा में केजीबीवी के लिए प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा की प्रारूप रूपरेखा में, केजीबीवी के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनमें रसोई के उपकरण, भोजन की सुविधा और रसोइयों की नियुक्ति शामिल हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करना होगा। इसके अलावा, समग्र शिक्षा की प्रारूप रूपरेखा में यह भी उल्लिखित है कि छात्रावास की दीवारों में से एक दीवार को इस योजना से संबंधित जानकारी और योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मिलने वाले लाभों के सटीक विवरण के साथ चित्रित किया जाना चाहिए ताकि इसकी सूचना आसानी से सुलभ हो। प्राप्त अनुदानों का विवरण और छात्रावास अधिकारियों द्वारा दी गई सुविधाओं/ अधिग्रहित संपत्ति को भी प्रत्येक छात्रावास में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है।

नियमित और सुनियोजित क्षेत्रीय दौरों की प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाना होगा।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, केजीबीवी के प्रचालन के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा के अंतर्गत निधि प्रदान करता है। केजीबीवी के प्रशासनिक मामले और प्रचालन संबंधित राज्य सरकार के

क्षेत्राधिकार में आते हैं। तथापि, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को विशेष रूप से केजीबीवी में दिए गए भोजन की गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): 31.01.2021 तक बिहार राज्य में कुल 732 केजीबीवी स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से, 54445 लड़कियों के नामांकन के साथ 584 केजीबीवी कार्यात्मक हैं।

******